उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
संख्या-34/2021/1218जेएल(2)/22-3-2021-200(1)/2021
लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई, 2021.

शुद्धि-पत्र

आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को 15 दिवस की गृह अवकाश वृद्धि स्वीकृत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-33/2021/1218जेएल/22-3-2021-200(1)/2021, दिनांक 12.07.2021 से संलग्न 110 बंदियों की सूची में टंकण त्रुटिवश क्रमांक-10 पर बंदी शिवमूरत गुप्ता पुत्र छंगू गुप्ता (बंदी सं0-15151), निवासी जनपद-फैजाबाद (वर्तमान अयोध्या) एवं क्रमांक-36 पर बंदी हरिवंश यादव उर्फ गोबरी पुत्र ढोढई (बंदी सं0-16006), निवासी जनपद-महराजगंज का नाम अंकित हो गया है। अतएव सूची से उक्त बंदियों का नाम पृथक किया जाता है तथा उनके स्थान पर बंदी गंगाराम पुत्र चौबेलाल (बंदी सं0-17183) तथा बंदी शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र फूल सिंह उर्फ छत्रपाल (बंदी सं0-15653) का नाम सम्मिलित किया जाता है।

2- शासनादेश संख्या-33/2021/1218जेएल/22-3-2021-200(1)/2021 दिनांक 12.07.2021 द्वारा निर्गत 110 बंदियों की सूची उपरोक्तानुसार संशोधित समझी जाए।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-34/2021/1218जेएल(3)/22-3-2021-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशसन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ ।
3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in